रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 1972 (वैशाख 30, 1894)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1972 (VAISAKHA 30, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

---

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 26 अप्रैल 1972

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री जे० एस० वार्ष्णेय ने दिनांक 20 अप्रैल, 1972 से, मद्रास मण्डल के स्थानापन्न अपर उप-सचिव और कोषपाल का पदभार ग्रहण किया ।

टी० आर० वरदाचारी,
प्रबन्ध-निदेशक

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 अप्रैल 1972

सं० 5 सी० ए० (1)/5/72-73—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 सी० ए० (1)/9/68-69 दिनांक 31-7-1968 एवं सं० 4 सी० ए० (1)/12/62-63 दिनांक 21-12-1962 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतत्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी हुई तिथि से पुनः स्थापित कर दिया है :—

क्र०सं०	स० संख्या	नाम एवं पता	तिथि
1.	262	श्री एस० रंगानाथन, एफ० सी० ए०, 'साईनिवास', 6806, शिवाजी नगर, सिकन्द्राबाद-3 ।	19-4-1972
2.	3365	श्री कामिनी कुमार चैटर्जी, ए० सी० ए०, 11, सनसेट एवेन्यू, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन, जिला बर्दवान ।	20-4-1972

सी० बालकृष्णन्, सचिव

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बम्बई-2, दिनांक 3 मई 1972

सं० सी० एस० बी०-16 (17)/69-ई० एस०—केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावलि 1955 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार मन्त्रालय, भारत सरकार, के पत्र क्रमांक 25011/2/72 टैक्स (एफ०) दिनांक 6-3-1972 के अनुसार बोर्ड श्री बन्सीलाल टीकू, वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (रेशम कीट प्रजनन और आनुवैशिकी), केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्था मैसूर को 1-4-1972 (पूर्वाह्न) से रु० 700-40-1100-50/2-1250 के वेतनमान पर निर्देशक, केन्द्रीय रेशम कीट बीज स्थान, पाम्पोर (काश्मीर) के पद पर नियुक्त करता है।

सं० सी० एस० बी०-18(3)/69-ई० एस०—केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावलि 1955 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार मन्त्रालय, भारत सरकार, के पत्र क्रमांक 25011/6/72-टैक्स (एफ०) दिनांक 4-3-1972 के अनुसार बोर्ड श्री एम० एल० कपिला, वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक, केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्था, मैसूर को 7-4-1972 (अपराह्न) से रु० 350-25-500-30-590-कार्यकुशलता रोध-30-800 — कार्यकुशलता रोध-30-830-35-900 के वेतनमान में रु० 450/- प्रतिमाह के प्रारम्भिक वेतन पर केन्द्रीय तसर अनुसन्धान उपकेन्द्र, रानीखेत में अनुसन्धान अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

सं० सी० एस० बी०-18 (191)/70-ई० एस०—केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावलि 1955 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के पत्र क्रमांक 25011/6/72-टैक्स (एफ०) दिनांक 25-2-1972 के अनुसार बोर्ड श्री एम० मकबूल अहसान, अनुसन्धान अधिकारी, केन्द्रीय तसर अनुसन्धान उपकेन्द्र, रानीखेत को 7-4-1972 (अपराह्न) से रु० 400-400-450-30-600-35-670- कार्य-कुशलता रोध -35-950 के वेतनमान में रु० 480 प्रतिमाह के प्रारम्भिक वेतन पर केन्द्रीय तसर अनुसन्धान केन्द्र, रांची में वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (शरीरक्रिया विज्ञान) के रूप में नियुक्त करता है।

ह०
अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1972

सूचना

सं० 4/72—सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारियों की विशेष साधारण सभा शनिवार, तारीख 17 जून, 1972 को सायंकाल 4.00 बजे (मानक समय) निगम के प्रधान कार्यालय, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग (आठवां मंजिल) 16, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली में होगी, जिसमें निम्नलिखित विषय पर कार्रवाई की जायेगी :

श्री वसन्तराव बी० पाटिल के त्याग पत्र देने के कारण हुए आकस्मिक रिक्त स्थान पर औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट निगम के अंशधारी सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संचालक चुनना। इस प्रकार से निर्वाचित संचालक उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के अनुसार अपने पूर्ववर्ती की अवधि के शेष भाग अर्थात् 26 सितम्बर, 1975 तक पदासीन रहेंगे।

बलदेव पसरीचा, महाप्रबन्धक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1972

सं० जनरल/एमेण्ड/29—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे कि दिनांक 3-4-1971 के भारत के राजपत्र में पहले प्रकाशित किया गया था और उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार सुझाव/विरोध/विचार आदि मांगे गए थे, अर्थात्:—

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 का संशोधन।

विनियम 98 का उप विनियम (III) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

विनियम 98 (III)

इन विनियमों के अनुसार पूर्ण रूप से प्रमाणित निम्न बीमारियों में से किसी के उपचार में रहने वाला कर्मचारी जो निम्न अवधि में लगातार उपचार में रहा हो :—

(अ) अठारह महीने या अधिक वर्ग 'क' में नीचे दी गई बीमारियों की दशा में, और

(ब) बारह महीने या अधिक वर्ग 'ख' में नीचे दी गई बीमारियों की दशा में, धारा (I) और (II) के आदेश होते हुए भी :—

वर्ग 'क'

1. क्षय रोग
2. कुष्ठ रोग
3. मांसिक रोग
4. विषालु रोग
5. अधरांगघात
6. पक्षाघात
7. पुराने जकड़े हुए दिल में रुकावट (क्रानिक कन्जैस्टिव हर्ट फैल्योर)
8. कच्चा मोतियाबिन्द जिसके द्वारा आक्रान्त आंख की दृष्टि 6/60 या कम हो

वर्ग 'ख'

1. श्वास नली शोथ और फेफड़े का फोड़ा ।
2. मायोकार्डियल इन्फार्कशन ।
3. कम्प वात ।
4. रीढ़ की हड्डी के आंतरिक डिस्क के जोड़ का हट जाना और स्थानाच्युत होना ।
5. न संभलने वाली रक्तक्षीणता (एप्लास्टिक अनेमिया) ।
6. वाहक नालियों के परिधि में रोग के कारण मांस का सड़ना और उसके कारण किसी और रोग का उत्पन्न हो जाना ।
7. रीढ़ की हड्डियों को सुन्न कर देने वाली अकड़न ।
8. जलोदर सहित जिगर का सुत्रण रोग ।
9. सबसे नीचे के भाग की अस्थियों का टूटना (लोअर एक्स्ट्रीमिटी का फ्रेक्चर)
10. दृष्टिपटल का अलगाव ।

सं० जनरल/एमेण्ड/30—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे कि दिनांक 8-5-1971 के भारत के राजपत्र में पहले प्रकाशित किया गया था और उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार सुझाव/विरोध/विचार आदि मांग गए थे, अर्थात् :—

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 का संशोधन । विनियम 10(9)

वर्तमान विनियम के प्रथम वाक्य में 'वर्ग में दो बार' शब्द 'त्रैमासिक में एक बार' द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

विनियम 10(14)

विनियम 10 (14) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

'एक क्षेत्रीय मंडल जिस क्षेत्र के लिए उसे स्थापित किया गया है उसके लिए निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(क) इस प्रकार के प्रशासनिक और/या अधिशासी कार्य जोकि समय समय पर निगम या स्थायी समिति के प्रस्ताव द्वारा इसे न्यस्त या सौंपे गए हों ।

(ख) योजना के परिचालनार्थ अधिनियम, नियम और विनियम और फार्मों और कार्य करने की नीति में परिवर्तन के लिए समय समय पर सुझाव देना ।

(ग) निगम के सामान्य निर्णयों और अग्रता के कार्यक्रमों के विशाल ढांचे के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर निर्णय लेना परन्तु साथ ही जहां निगम या उपयुक्त सरकार की अनुमति की आवश्यकता हो वह ले ली जाये :—

(i) निगम द्वारा निर्धारित अग्रता के क्रम में अन्य वर्गों और संस्थापनाओं पर योजना का विस्तार करना,

(ii) नये क्षेत्रों में योजना का विस्तार करना और परिवारों के लिए चिकित्सा देख रेख का विस्तार करना,

(iii) क्षेत्रों में असाधारण स्थिति को संभालने के लिए विशेष उपाय करना,

(iv) हितलाभों में सुधार करना,

(v) अंतरंग चिकित्सा उपचार प्रदान करना,

(vi) क्षेत्र में उन बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास का उपाय व प्रबन्ध करना जोकि पूर्ण रूप से अपंग हो गए हों ।

(vii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के विविध उपबन्धों, विनियमों और अन्य नियमों और निर्देशों का नियोजकों से पालन करवाना ।

(घ) राज्य में चिकित्सा एवं नकद हितलाभ दोनों ही पक्षों में योजना के परिचालन का समय समय पर पुनरीक्षण करना और निगम तथा राज्य सरकार को योजना के परिचालन में नकद हितलाभ अदायगी और चिकित्सा हितलाभ दोनों ही पक्षों में सुधार करने के उपायों का परामर्श देना, विशेषत: स्वास्थ्य प्रबन्धक उपाय, सुरक्षा और वैयक्तिक स्वास्थ्य विद्या की वृद्धि करना और प्रमाण में ढील का पुनरीक्षण करना व रोकना और योजना के अन्य अपवादों को दूर करना आदि ।

(ङ) बीमाकृत व्यक्तियों, नियोजकों आदि की साधारण व्यथा, शिकायतों और कठिनाइयों को यथा उचित देखना ।

(च) निगम को उन विषयों में परामर्श देना जोकि स्थायी समिति या महानिदेशक द्वारा उसे भेजे गए हों ।

क्षेत्रीय मंडल अपना कोई भी कार्य चलाने के लिए उपयुक्त उप समितियां स्थापित कर सकता है और जहां आवश्यक हो स्थानीय समितियों की सहायता एवं परामर्श ले सकता है ।

सं० जनरल/एमैण्ड/31—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे कि दिनांक 18-9-1971 के भारत के राजपत्र में पहले प्रकाशित किया गया था और उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार सुझाव/विरोध/ विचार आदि मंगाये गए थे, अर्थात्:—

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 का संशोधन

'31-ख ब्याज की वसूली विनियम 31-क के अन्तर्गत कोई भी देय ब्याज भू-राजस्व के अवशेष के सदृश वसूल किया जा सकेगा।'

सं० जनरल/एमैण्ड/33—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे कि दिनांक 29-1-1972 के भारत के राजपत्र में पहले प्रकाशित किया गया था और उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार सुझाव/विरोध/विचार आदि मांगे गए थे, अर्थात्:—

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 का संशोधन

वर्तमान विनियम 75 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"75. चिकित्सा मण्डलों/विशेष चिकित्सा मण्डलों का गठन निगम द्वारा अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिकित्सा मण्डल तथा विनियम 74 के प्रयोजन के लिए विशेष चिकित्सा मण्डल गठित किए जायेंगे और जहां निगम चाहे राज्य सरकार को उनके स्थापित करने का प्रस्ताव रख सकती है। इनमें उतने ही व्यक्ति होंगे, इनका उतना ही क्षेत्राधिकार होगा तथा वे उसी कार्यप्रणाली का अनुसरण करेंगे जैसा कि महानिदेशक समय-समय पर निर्णय करे।"

बी० आर० मदान, उप-बीमा आयुक्त

STATE BANK OF INDIA

Central Office

NOTICE

Bombay, the 26th April 1972

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri J. S. Varshneya has assumed charge as Officiating Additional Deputy Secretary & Treasurer, Madras Circle, as from the 20th April 1972.

T. R. VARADACHARY
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, dated the 26th April 1972

No. 5-*CA*(1)/5/72-73—With reference to this Institute's Notifications No. (i)4-CA/1/9/68-69 dated 31-7-68 and (*ii*) 4-CA/1/12/62-63 dated 21-12-62, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulations 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	Membership No.	Name and Address	Date of Restoration
1.	262	Shri S. Ranganathan, F.C.A., 'Saj Nivas', 6806, Shivaji Nagar, Secunderabad-3.	19-4-72
2.	3365	Shri Kamini Kumar Chatterjee, A.C.A., 11, Sunset Avenue, Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan, Distt. *Burdwan.*	20-4-72

C. BALAKRISHNAN
Secy.

CENTRAL SILK BOARD

Bombay-2, the 3rd May 1972

No. CSB/16(17)/69-*ES.*—In exercise of the powers conferred by Rule 28 of the Central Silk Board Rules, 1955, the Board has been pleased to appoint Shri B. L. Tikoo, Senior Research Officer, (Silkworm Breeding and Genetics), Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore as Director, Central Silkworm Seed Station, Pampore (Kashmir) on an initial pay of Rs. 700/- p.m. in the scale of Rs. 700-40-1100-50/2-1250 with effect from 1-4-1972 (F.N.), as per Ministry of Foreign Trade, Government of India, New Delhi letter No. 25011/2/72 Tex-F dated 6th March, 1972.

No. CSB/18(191)-70-*ES.*—In exercise of the powers conferred by Rule 28 of the Central Silk Board Rules, 1955, the Board has been pleased to appoint Shri M. L. Kapila, Senior Research Assistant, Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore as Research Officer, Central Tasar Research Sub-Station, Ranikhet on an initial pay of Rs. 450/- P.M. in the scale of Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900 with effect from 7-4-1972 (A.N.) as per Ministry of Foreign Trade, Government of India, New Delhi letter No. 25011/6/72-Tex(F) dated 4th March, 1972.

No. CSB/18(191)-70-*ES.*—In exercise of the powers conferred by Rule 28 of the Central Silk Board Rules, 1955, the Board has been pleased to appoint Shri M. Maqbool Ahsan, Research Officer, Central Tasar Research Sub-Station, Ranikhet as a Senior Research Officer (Physiology) at Central Tasar Research Station, Ranchi on an initial pay of Rs. 480/- P.M. in the scale of Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950 with effect from 7-4-1972 (A.N.) as per Ministry of Foreign Trade, Government of India, New Delhi letter No. 25011/6/72-Tex(F) dated 28-2-1972.

D. DEVARAJ URS
Chairman

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 3rd May 1972

NOTICE

No. 4/72.—Notice is hereby given that a SPECIAL GENERAL MEETING of the shareholders of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Saturday, the 17th June, 1972 at 4.00 P.M. (Standard Time) at the Head Office of the Corporation, Bank of Baroda Building (8th floor), 16, Parliament Street, New Delhi to transact the following business :—

To elect a Director to represent the Co-operative Banks who are shareholders of the Corporation referred to in clause (c) of sub-section (1) of Section

10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 in the casual vacancy caused by the resignation of Shri Vasantrao B. Patil. The director so elected shall hold office in terms of sub-section (3) of Section 11 of the Act for the unexpired portion of the term of his predecessor, *i.e.* till the 26th September, 1975.

BALDEV PASRICHA
General Manager

ORIENTAL COUNCIL OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th April 1972

No. DE-73-72.—Read "PEDODONTIA" *instead of* "PEDODORTIA" printed in 4th line of 1st Col. and 'DELETED' *instead of 'ADDED'* printed in 4th line in the IInd Col. *Both at page 872 in the Gazette of India*, Part III, Section IV, dated 4-3-72.

D. N. CHAUHAN
Secretary
Dental Council of India
New Delhi

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 27th April 1972

No. Genl./Amend./29.—In exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendments in the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the same having been previously published in the Gazette of India, dated 3-4-1971 inviting suggestions/objections/comments if any as required by Sub-Section (1) of the said section namely :—

Amendments to the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950

"Sub-Regulation (iii) of Regulation 98 shall be substituted by the following :—

Regulation 98(iii)

Who has been under medical treatment for any of the following diseases, duly certified in accordance with these Regulations, after the employee has been under such treatment for a continuous period of—

(a) eighteen months or more in case of diseases in Group "A" mentioned below, and

(b) twelve months or more in case of diseases in Group "B" mentioned below, notwithstanding provisions of clauses (i) and (ii) :—

Group "A"

1. Tuberculosis
2. Leprosy
3. Mental diseases
4. Malignant diseases
5. Paraplegia
6. Hemiplegia
7. Chronic congestive heart failure
8. Immature cataract with vision 6/60 or less in the affected eye.

Group "B"

1. Bronchiectasis and lung abscess
2. Myocardial infarction
3. Parkinson's disease
4. Dislocation and prolapse of inter-vertebral disc.
5. Aplastic anaemia
6. Gangerene and its sequalae due to peripheral vascular disease .
7. Ankylosis spondylitis
8. Cirrhosis of liver with ascites
9. Fracture of lower extremity
10. Detachment of retina

No. Genl./Amend./30.—In exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendments in the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the same having been previously published in the Gazette of India, dated 8-5-71, inviting suggertions/objections/comments if any as required by sub-section (1) of the said section namely :—

Amendments to the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950

Regulation 10(9)

"In the first sentence of the present Regulation, the words "Twice each year" shall be replaced by "Once a quarter"."

Regulation 10(14)

Regulation 10(14) shall be substituted as under :—

"A Regional Board shall perform the following functions in respect of the Region for which it is set up :

(a) Such administrative and/or executive functions as may, from time to time be entrusted or delegated to it by a resolution, by the Corporation or the Standing Committee.

(b) To make recommendations from time to time in regard to changes which may in its opinion be advisable in the Act, Rules and Regulations and forms and procedure to be followed in the running of the Scheme.

(c) To decide within the broad framework of the general decisions and programme of priorities of the Corporation, the following matters, provided that where the specific approval of the Corporation or the appropriate Government is required, such approval shall be taken :—

(i) Extension of the Scheme to other categories of establishments in accordance with the order of priorities laid down by the corporation;

(ii) Extension of Scheme to new areas and extension of Medical care to families;

(iii) Adoption of Special measures to meet peculiar conditions in the area;

(iv) Improvement in benefits;

(v) Provision of indoor medical treatment;

(vi) Measures and arrangements for the rehabilitation of insured persons in the area, who are permanently disabled;

(vii) Securing compliance by employers with the various provisions of the Employees' State Insurance Act, the Regulations and other Rules and instructions;

(d) To review from time to time the working of the Scheme in the State both on the medical side as well as cash benefit side and to advise the Corporation and the State Government on measures to improve the working of the Scheme both in regard to payment of cash benefits and administration of medical benefit and in particular to promote preventive health measures, safety and personal hygiene and to review and check lax certification and other abuses of the Scheme.

(c) To look into general grievances, complaints and difficulties of insured persons, employers, etc. as it may consider necessary.

(t) To advise the Corporation on such matters as may be referred to it for advice by the Standing Committee or the Director-General.

The Regional Board may set up suitable Sub-Committees for carrying out any of its functions and may seek the assistance or advice of Local Committees where necessary "

No. Genl./Amend./31.—In exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the same having been previously published in the Gazette of India dated 18-9-71, inviting suggestions/objections/comments if any as required by sub-section (1) of the said Section namely :—

Amendment to the E.S.I. (General) Regulations, 1950

"31-B :—Recovery of interest :—Any interest payable under Regulation 31-A may be recovered as an arrear of land revenue."

No. Genl./Amend./33.—In exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the same having been previously published in the Gazette of India dated 29-1-1972 inviting suggestions/objections/comments if any as required by Sub-section (1) of the said Section namely :—

Amendment of Regulation 75 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950

The existing Regulation 75 shall be substituted by the following :—

"75. *CONSTITUTION OF MEDICAL BOARDS/ SPECIAL MEDICAL BOARDS.*

Medical Boards for the purposes of the Act and the Special Medical Boards for the purposes of Regulation 74 shall be constituted by the Corporation and where it so desires it may approach the State Government for setting up the same and shall consist of such persons, have such jurisdiction and follow such procedure as the Director-General may from time to time decide".

B. R. MADAN
Deputy Insurance Commissioner

New Delhi, the 28th April 1972

No. 12-(1)/32/71-*Med.II.*—In partial modification of this office notification No. 12-(1)/16/69-Med.II dated the 5th December, 1969 and in pursuance of the resolution passed by the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon me the powers of the Corporation under Regulation 105 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, I hereby authorise the Principal Medical & Health Officer, Kota to function as medical authority for Lakheri Centre also in addition to Kota with effect from 1st May, 1972 for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certification to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

T. C. PURI
Director-General

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972